POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले दिनों उड़िसा के रानापाड़ा कस्बे की खबर पढ़ी कि वहां दलितों को मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस खबर ने मेरे दिमाग को बेहद आंदोलित किया और दिल रो दिया।

देश में छुआछूत को खत्म करने व दलितों पर होने वाले अत्याचार निवारण के लिए कठोर कानून बने हैं। इनमें छुआछूत को गंभीर अपराध घोषित किया गया है। हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले हैं। इन सब के बावजूद फिर भी ऐसी कई घिनौनी हरकतें अभी तक हमारे समाज में प्रचलित हैं।

आज हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और दुनिया में विश्व शक्ति के रूप में उभरने की तैयारी पर हैं। लेकिन दुःख होता है कि हम आज भी सदियों पुरानी प्रथाओं को दफना नहीं पाये। लेकिन कुछ परिवर्तन आया है और सुधार भी हुआ, मसलन बनारस के विश्वनाथ मन्दिर में पूजा अर्चना करना। जिसकी खबर इस अंक में छापी गई है।

इस साल हम आजादी की 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच व विचारों के अनुरूप इस वर्ग के लोगों को शोषण और भेदभाव से मुक्ति व सही न्याय मिल सके, यह सरकार व हम सभी के लिए विचारणीय है।

अन्त में एक सवाल बहस के लिए उठाना चाहता हूं। क्या हमें इतने मन्दिरों की आवश्यकता है? क्योंकि भगवान मानव में विराजित है, तो क्यों नहीं हम हर एक मानव को आदरणीय मानकर उसकी सेवा करें एवं मन्दिरों में जो पैसा लगता है उसे गरीबी उन्मूलन में लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ 'ग्रामगदर' का यह अंक हमारे दलित भाईयों को समर्पित है..!

यह एक अभिनव प्रयोग है और अगले अंक भी किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर बहस के लिए रखे जा सकेंगे।

कानूनी जानकारी

गलत है छुआछूत का व्यवहार

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार देश के सभी नागरिक कानून की दृष्टि से एक समान है। किसी भी व्यक्ति को सबके समान न्याय प्राप्ति के हक से वंचित नहीं किया जा सकता।
- संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस आधार पर किसी को दुकानों, किन्हीं भी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश व साधारण जनता के लिए बने कुओं, तालाबों, सडकों आदि के उपयोग में भेद-भाव नहीं होगा।
- अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर होंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 17 के प्रावधान अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अन्त करते हैं। अस्पृशता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- देश में छुआछूत को खत्म करने के लिए छुआछूत उन्मूलन अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे 1976 में और भी प्रभावी बनाया गया जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा 1989 में भी संसद ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पास किया।
- कानून में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी को अछूत नहीं कहा जा सकता।

- किसी व्यक्ति को अछूत कहने या उससे छुआछूत का व्यवहार करने वाले को कम से कम 6 महीने की जेल तथा जुर्माने की सजा हो सकती है। कानून में आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है।
- देश में सदियों से शोषित अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए कई विशेष प्रावधान भी हैं। ताकि इन्हें देश की मुख्यधारा में लाकर विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इनके लिए पंचायत, विधान-सभा, लोक-सभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं।
- केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भी इनके विकास हेतु उनकी जन संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया हुआ है।
- अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- छात्रों को पढ़ाई-लिखाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष छात्रावास भी चलाए जाते हैं।

उड़िसा के मंदिर में दलितों को मनाही

यह देखकर हैरानी होती है कि उड़िसा के रानापाड़ा गांव के काली मंदिर में दलित छात्राओं को देवी के दर्शनार्थ प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। मुख्य मंदिर का दरवाजा बन्द कर दिया गया। विरोध पर उन्हें अपमानित किया गया, जो बाद में हिंसक झड़पों में बदल गया। उनका यह अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ, गांव के दलित किसानों पर भी इसकी मार पड़ी। गांव में वे खेती और रोजी-रोटी से भी वंचित कर दिए गए। खेद यह है कि आजादी के 64 वर्ष बीतने के बावजूद वहां दलितों के साथ सदियों पुरानी प्रथा अब भी जारी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पी.एल. पूनिया खुद भी वहां गए थे, बताते हैं कि जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर के मुख्य हिस्से जहां मूर्तियां रखी हैं उसे बन्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब वहां के मुख्य सचिव को यह बताना होगा कि सरकार दलितों के साथ छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने में क्यों सक्षम नहीं है? दोषी अधिकारियों को दंड़ित क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि वे इस मामले को संसद तक ले जाएंगे।

दलितों के हित में किए हैं काम-मायावती

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो कि स्वयं एक दलित महिला है का कहना है कि प्रदेश में दलितों की भलाई के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। जिनसे दलितों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनी आर्थिक व आवास योजनाएं उन्हें फायदा पहुंचा रही है। महिलाओं के विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है।

उन पर आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले यह नहीं बता पाते कि किस राज्य में अपराध घटे हैं।

दलितों की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा

प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुप्रति योजना के तहत हर साल आईएएस, आरएएस, आईआईटी व एआईईई के चयनित अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बांटता है।

पिछले सालों में सवाई माधोपुर, करौली व दौसा में फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के करोड़ों रुपए के घपले सामने आ चुके हैं। इन घपलों के दर्जनों मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में भी दर्ज है। इन अनियमित्ताओं व फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के मकसद से विभाग अब अनुप्रति योजना का लाभ लेने वाले पात्र अभ्यर्थी का नाम, पता व फोटो सार्वजनिक करेगा, साथ ही जनता को इनके बारे में सूचना देने का अधिकार सौंपा है।

लादूराम को राजीव गांधी समरसता अवार्ड

गांधी विकास समिति, ग्राम तामडिया, चाकसू के सचिव लादूराम वर्मा को समरसता अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, दिल्ली द्वारा राजीव गांधी समरसता अवार्ड 2011 प्रदान किया गया।

वर्मा को यह अवार्ड दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति जी.बी.पटनायक व पूर्व चुनाव आयुक्त जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने दिया। वर्मा अवार्ड पाने वाले चाकसू तहसील से अनुसूचित जाति के पहले ऐसे व्यक्ति हैं।

समरसता मंच समाज में सौहार्द एवं अनुकरणीय कार्य करने वालों को इस आवार्ड से सम्मानित करता है। वर्मा पिछले पच्चीस वर्षों से सामाजिक जनसेवा, महिला उत्थान, पर्यावरण व जन चेतना के क्षेत्र में काम कर रहे।

राजस्थान में भी बढ़ा दलित अत्याचार

दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर के अनुसार वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश दलित अत्याचारों में अग्रणी रहा, जहां 7000 से भी अधिक घटनाएं हुई। उसकी तुलना में राजस्थान में दलित अत्याचार के लगभग 6000 अपराध हुए हैं।

दलित अत्याचारों में राज्य का दूसरा नम्बर आता है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले तीन सालों में दलित उत्पीड़न में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिनमें विशेषकर महिलाओं के साथ बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा घटित हुई हैं। इनमें पिछले साल की तुलना में 2010 में 34 फीसदी की वृद्धि हुई है।

राज्य में दलित सरपंचों खासकर महिला सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों को अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है। दलितों को आय के मुख्य स्त्रोत, भूमि से वंचित करने की शिकायतें भी बढ़ी हैं। दलित अधिकार केन्द्र ने पिछले 5-6 वर्षों में महसूस किया है कि दलित उत्पीड़न के ज्यादातर मामले भूमि को लेकर होते हैं। दलितों की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। दलितों के भूमि संबंधी कानून प्रशासन की जगजाहिर निष्क्रियता के कारण क्रियान्वित नहीं होते।

दलित छात्रों के साथ होता है भेदभाव

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में दलित जाति के छात्रों के साथ अब भी निचले स्तर का व्यवहार किया जा रहा है। यह केवल नई दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी ऐसा हो रहा है।

छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के चलते उनका दाखिला तो हो जाता है, लेकिन शिक्षकगण अन्य छात्रों के बीच सार्वजनिक रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी.एल. पूनिया का कहना है कि ऐसी ढेरों शिकायतें आयोग के पास आती रहती है। यह मामला केन्द्र सरकार की नजर में भी आ गया है और इसे गंभीरता से लिया गया है।

दलितों की सबसे बड़ी समस्या है वित्त

उत्तर प्रदेश में किए गए एक शोध के अनुसार 1990 के दशक के बाद दलितों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इस अवधि में इनके लिए आर्थिक सुधार कार्यक्रम चालू किए गए। वर्ष 2005 में स्थापित भारतीय दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है।

मिलिन्द प्रहलाद काम्बले इसके अध्यक्ष हैं और वे एक निर्माण व्यवसाय चलाते हैं। काम्बले के अनुसार दलित उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या वित्त है। उनके पास सम्पत्ति नहीं होने से बैंक भी उन्हें ऋण देने में अनिच्छुक रहते हैं।

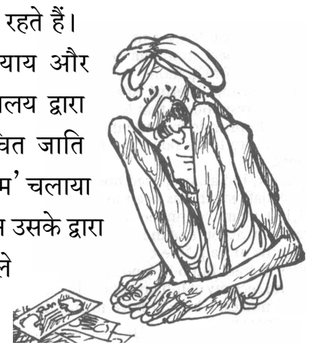

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम' चलाया जा रहा है। लेकिन उसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ही है। यह ऋण काफी छोटे होते हैं। हालांकि सरकार द्वारा ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है।

निगम ने वर्ष 2010-11 में 232 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्ताव मंजूर किए और उसमें से 180 करोड़ रुपए का वितरण किया है। काम्बले बताते हैं कि दलितों की वित्तीय समस्याओं पर उनकी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से भी बात हुई है, उन्होंने दलितों के लिए एक 'उद्यम पूंजी कोष' बनाने का सुझाव दिया है।

दलितों ने विश्वनाथ मंदिर में की पूजा

पिछले दिनों राजस्थान के अलवर, टोंक और बिहार के आरा जिले की करीब 200 से भी ज्यादा दलित महिलाएं बनारस के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन व पूजा अर्जना कर भाव विभोर हो गई। मन्दिर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। शिवलिंग के चारों तरफ लगी फैस को हटा कर उन्हें पूजन कराया गया। आचार्यो ने मंत्रों का उच्चरण कर जलाभिषेक कराया। दल ने शनि देव और अन्नपूर्णा मां के भी दर्शन किए। इसके बाद हुए भोज में ब्राह्मणों ने भी इन महिलाओं के साथ बैठ कर भोजन किया।

सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक डॉ.बिंदेश्वर पाठक के नेतृत्व में आयी वाल्मिकी समाज की इन महिलाओं ने बताया कि वे कुटीर उद्योग लगाकर जीविकोपार्जन कर रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। महिलाओं ने इससे पूर्व पवित्र गंगा माता के दर्शन किए और गंगा में स्नान कर अपने को धन्य माना। काशी में मिले इस सम्मान से उनके नेत्र सजल हो गए।

(अमर-उजाला, 21.06.11)

दलित छात्रा ने दिखाई हिम्मत

पिछले दिनों सीकर के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य त्रिलोक चन्द त्रिपाठी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पास करने के लिए छात्रा से अस्मत और रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो के एएसपी मूल सिंह राणा ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर की दलित विवाहिता छात्रा ने शिकायत दी थी कि त्रिपाठी ने पास करने के लिए अपने साथ चलने को कहा था।

एएसपी का यह भी कहना था कि छात्रा ने अगर साथ जाने की हिम्मत नहीं की होती तो त्रिपाठी को अनैतिक मांग करते हुए पकड़ पाना मुश्किल था। अब इस बात की भी जांच चल रही है कि उसने परीक्षा में अच्छे नम्बर दिलाने के नाम पर और कितनी छात्राओं के आगे ऐसा प्रस्ताव रखा।

दलित दूल्हा चढ़ा घोड़ी पर

कड़ैल पंचायत के डूंगरियाकला गांव में पहली बार एक दलित दूल्हें ने पुलिस सुरक्षा के बीच घोड़ी पर चढ़ कर तोरण मारा। अन्य समाज के विरोध व झगड़े की आशंका के चलते तीन सौ घरों की आबादी के इस गांव में दलित परिवार सौ साल से ढोल के साथ घोड़ी पर बरात निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।

गांव के कन्हैया लाल मोर्य की पुत्री सोनू का नागौर के रेण गांव के प्रेमचन्द के पुत्र विमल के साथ विवाह हुआ। वधु के पिता की गांव में ढोल-बाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे की बरात देखने की तमन्ना थी, जो अखिरकार पूरी हो गई।

अनुसूचित जाति वाले गांवों को फायदा

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मिलने वाली गैप फीलिंग राशि को दो गुना करने का फैसला किया है।

योजना में राजस्थान सहित पांच राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव शामिल है। इस योजना के तहत चयनित ऐसे गांवों को विकास गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए के बजाय अब 20 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्थान के 225 गांवों को फायदा होगा। योजना में राजस्थान के अलावा तमिलनाडु, बिहार, असम, और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'करुम' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485